

विश्वसनीय खरीद व मूल्य व्यवस्था की जरूरत

देविंदर शर्मा

यह समय ऐसा है, जहां एक ओर भारत का कृषि क्षेत्र गहरे संक्रास से जूझ रहा है तो वहीं विश्व भूख-सूचकांक सूची में दर्ज कुल 120 देशों में भारत 102वें स्थान पर है, तिस पर तुरा यह कि देश के खाद्यान्न भंडार फटने की कगार पर हैं क्योंकि जुलाई, वर्ष 2019 के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी गोदामों में 7.21 करोड़ टन गेहूँ-चावल दुंसा पड़ा है और जुलाई, 2020 तक इसमें 1 करोड़ टन और खाद्यान्न जुड़ जाएंगे, जिससे यह कुल मात्रा रिकॉर्ड 8.47 करोड़ टन तक पहुंच जाएगी।

इसका मतलब कि हमारे आधिकारिक अन्न भंडारों में जुलाई 2020 में सुरक्षित रखने योग्य अन्न की मात्रा में 4.63 करोड़ टन खाद्यान्न फालतू होगा। लिहाजा केंद्र सरकार को पंजाब, हरियाणा और अन्य ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों से और अधिक खरीद न करने को कहना पड़ा है।

जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय अन्न पर दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ लगातार घटाने पर जोर दे रहा है, शायद इसलिए ताकि अगले साल के स्टॉक में जुड़ने वाला व्यय घटाया जा सके, वहीं दूसरी तरफ 'लागत एवं मूल्य निर्धारण आयोग' उस 'मुक्त-छोर खरीद नीति' की पुनः समीक्षा की बात कह रहा है, जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने योग्य अतिरिक्त गेहूँ और चावल उत्पादक किसान मंडी में लाते हैं और सरकार इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने को प्रतिबद्ध है। हो सकता है सरकारी खरीद की मात्रा की ऊपरी सीमा तय करके उक्त आयोग निजी क्षेत्र को

मंडियों से खाद्यान्न की सीधी खरीद करने की अनुमति देने की सलाह दे रहा है।

कृषि उत्पाद मंडी कमेटी कानून में आखिरी मर्तबा वर्ष 2006 में बदलाव किया था, जिसके तहत निजी कंपनियों को सीधे किसानों से फसल खरीदने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके नतीजे में हमारा देश विश्वभर में सबसे ज्यादा गेहूँ आयात करने वाला मुल्क बन गया था। हुआ यह कि निजी व्यापारियों ने तुरंत मौका भुनाते हुए बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की खरीद तो कर ली, लेकिन कितनी मात्रा में कहाँ भण्डारण किया है, इसको नहीं बताया था। नतीजतन ऐसे साल में जब फसल उत्पादन में कोई प्रत्यक्ष कमी नहीं देखी गई थी, उस वर्ष सरकारी खरीद की दर कम रही थी। लिहाजा वर्ष 2007-08 में जनवितरण के अंतर्गत दिए जाने वाले खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को 55 लाख टन गेहूँ आयात करना पड़ा था, वह भी उस कीमत से दोगुने दाम पर जो स्थानीय किसानों की फसल का लगाया गया था। उस वक्त भारत की विशाल गेहूँ आपूर्ति जरूरतों की खबर लगते ही अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तुरंत इजाफा हो गया था। इससे काफी विवाद था और उस वक्त विपक्ष में रही भाजपा ने मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की थी। इसे 'गेहूँ आयात घोटाला' ठहराया था।

लिहाजा कृषि उत्पाद मंडी कमेटियों को दरकिनार कर गेहूँ-चावल की खरीद सीधे किसानों से करने की अनुमति निजी क्षेत्र को देने के अपने खतरे भी निहित हैं। किसी भी सूरत में कोई भी सरकार देश

की आपातकालीन खाद्य सुरक्षा जरूरतों को सुनिश्चित करने को नजरअंदाज नहीं कर सकती है और उसे अकाल या अन्य देखी-अनदेखी स्थितियों के लिए यथेष्ट मात्रा में खाद्यान्न का भण्डारण करना ही पड़ता है।

लेकिन फालतू अन्न का क्या किया जाए फिर जब देश में इतनी बड़ी संख्या में भूखे पेट लोग मौजूद हैं, तब इसका सदुपयोग न करना क्या खाद्य-प्रबंधन में कमी को नहीं दर्शाता है वर्ष 2006 में जब पहली बार विश्व भूख-सूचकांक रिपोर्ट जारी हुई थी, उस वक्त भी कुल 119 देशों में भारत शोचनीय 96वें स्थान पर था। अनेक अध्ययन दर्शाते हैं कि ग्रामीण भारत में (और शहरी इलाकों में भी) लोगों की अपनी खुराक संबंधी खर्च करने की समर्था में लगातार कमी आती जा रही है। उपभोक्ता व्यय सर्वे की लीक हो चुकी रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि कैसे देश के ग्रामीण अंचल में परिवारों के खुराक व्यय में वर्ष 2011-12 से लेकर 2017-18 के बीच लगातार 10 प्रतिशत की कमी होती गई है। इसलिए भण्डारों में पड़े फालतू खाद्यान्न का इस्तेमाल प्रभावशाली ढंग से करके देश की बड़ी जनसंख्या की पौष्टिकता संबंधी कमी की भरपाई की जा सकती है। यहां में 'लागत एवं मूल्य आयोग' की उस सिफारिश की ताईद करता हूं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अन्त्योदय अन्न योजना या इस जैसी जनभलाई योजनाओं के लिए अतिरिक्त अन्न की मात्रा जारी की जानी चाहिए।

'मुक्त-छोर खरीद' व्यवस्था को खत्म

करने के मुद्दे पर यहां समझने की जरूरत है कि बेशक वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला समीकरण खेती की लागत तक को पूरा करने में नाकाफी है, फिर भी यह एक 'तयशुदा वायदा-कीमत' तो सुनिश्चित करता ही है। किसान के लिए यह 'वायदा-भाव' और 'वायदा-खरीद' उन्हें मंडी व्यापारियों की बेलागम मनमर्जी से कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं। इसीलिए किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मांग अक्सर किया करते हैं।

फिलहाल दीगर आर्थिक माहिरों पर कृषि उत्पाद विपणन मंडी कमेटी (एपीएमसी) आधारित व्यवस्था को भंग करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली प्रणाली को हटाने की सोच हावी हो गई है। विश्व बैंक भी लगातार यही कहता आया है और विश्व व्यापार संगठन ने तो जनता के लिए रखे जाने वाले अन्न भण्डारण के औचित्य पर ही सवाल खड़े किए हैं, यहां तक कि कुछ आर्थिक सर्वेक्षणों और मुख्यधारा के आर्थिक विशेषज्ञ लगातार कहते आए हैं कि आधिकारिक फसल मूल्य निर्धारित करना उस राह में अड़चन में बनता है, जिसे ये लोग 'प्राइस डिस्कवरी' कहते हैं।

अलबत्ता किसी बाजार दखलअंदाजी से अगर 'प्राइस डिस्कवरी' की जा सकती है तो वह खुद न्यूनतम समर्थन मूल्य ही है, बशर्ते इसे ढंग से दिया जा सके। ऐसे देश में जहां केवल 6 प्रतिशत किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा मिलता हो, वहां मंडी व्यवस्था शेष 94 प्रतिशत कृषकों को बेहतर मूल्य देने में बुरी तरह

नाकामयाब सिद्ध हुई है, लिहाजा यह तौर-तरीका इस तथाकथित 'प्राइस डिस्कवरी' की मददगार ज्यादा है। किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलवाने में 'ई-नैम्स' (इलैक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम) नामक व्यवस्था लागू करने का प्रयास भी विफल रहा है।

इसलिए हम लोगों के लिए खरीद व्यवस्था को मजबूत करना ही उत्तर है। गेहूँ-चावल की ऊपरी खरीद सीमा को निर्धारित करने के सिलसिले में व्यक्तिगत अथवा जिला स्तर पर तय की जाने वाली कोटा व्यवस्था पर अमल करने की बजाय वैकल्पिक फसलों की खरीद के लिए एक प्रभावशाली खरीद-तंत्र बँटाने की जरूरत है। उदाहरणार्थ गेहूँ की देशव्यापी खरीद में पंजाब के मौजूदा हिस्से को 37.1 प्रतिशत से घटाकर इसकी जगह दूसरी फसलें जैसे कि बाजरा, ज्वार, दालें और तिलहन इत्यादि की खरीद पहले करना सुनिश्चित किया जाए। किसानों को हालांकि अहसास है कि अन्य फसलों की ओर जाने की जरूरत है, लेकिन एक विश्वसनीय खरीद एवं मूल्य व्यवस्था के अभाव में वे वर्तमान ढर्रे से निकलने को तैयार नहीं हैं।

किसानों को एक व्यवहार्य विकल्प दिया जाए, बाकी काम वह खुद कर लेंगे। लेकिन दूसरी ओर 'वायदा-खरीद' और 'वायदा-मूल्य' वाली व्यवस्था जिसे डॉ. एमएस स्वामीनाथन ने एक बार 'अकाल से बचने' का दोहरी रणनीति कहा था-इसको योजनागत ढंग से खत्म करने वाले कदम का गंभीर राजनीतिक नतीजा होगा।

बिचौलियों पर नकेल संपादकीय

किसान को उसकी फसल का वाजिब मेहनताना दिलाने के लिये मंडियों में सीधी उपज बेचने की अनुमति देना निःसंदेह हरियाणा सरकार की सार्थक पहल ही कही जायेगी। हालांकि, अभी पहले चरण की योजना में फल-सब्जी उत्पादक किसान ही शामिल होंगे, लेकिन कालांतर कृषि विभाग की इस प्रस्तावित योजना में सभी अनाजों की बिक्री आढ़तियों की दखल के बिना किसान सीधे मंडियों में कर पायेंगे। यह विडंबना ही है कि आजादी के सात दशक बाद भी किसान को उसकी उपज का न्यायसंगत दाम नहीं मिल पा रहा है। कैसी विसंगति है कि किसान खून-पसीना बहाकर उपज पैदा करता है और उसकी मेहनत व लागत का मूल्य कोई और तय करता है। अनाज की कीमत तय करने में भी न्याय का पलड़ा हमेशा बिचौलियों के पक्ष में ही झुका रहता है। विडंबना देखिये कि मौसम की मार या अन्य कारणों से फसल खराब होती है तो उसकी कीमत भी किसान को चुकानी पड़ती है। यदि फसल भरपूर हो तो सब्जी, फल या अनाज की आपूर्ति बढ़ने से उपज के दाम गिरा दिये जाते हैं। तो बाजार में फसल कम होने से जो खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छूने लगते हैं, उसका मुनाफा किसकी जेब में जाता है सही मायनों में बिचौलियों एक ऐसी परजीवी जमात के

रूप में पूरे देश में फल-फूल रहे हैं, जो निरंतर संपन्न होते गये और किसान के हिस्से में सिर्फ बदहाली ही आई। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने मंडियों में किसानों की उपज खरीद ऑनलाइन करके मुनाफा सीधे किसानों के खाते में भेजने की कोशिश की थी, मगर आढ़तियों के विरोध के कारण यह योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। सरकार यदि अपने फैसले पर दृढ़ रहे और किसान की उपज को सीधे मंडियों में बेचने की अवरोध रहित व्यवस्था कर दी जाये तो किसान को वास्तव में उपज का न्यायसंगत दाम मिल सकेगा।

निःसंदेह हरियाणा सरकार की प्रदेश की मंडियों में किसानों को सीधे उत्पाद बेचने की योजना रचनात्मक पहल है। इसमें किसानों को आढ़तियों की तरह मार्केटिंग बोर्ड से लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता भी नहीं होगी। निश्चय ही इस प्रयास से सरकार द्वारा परंपरागत फसलों के स्थान पर फसलों के विविधीकरण की योजना को भी सिरे चढ़ाने में बल मिलेगा। दरअसल, गैर परंपरागत फसल को उपभोक्ता तक पहुंचाने में किसान को खासी दिक्रत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि वह फसलों के विविधीकरण से कतराता रहा है। वहीं जो किसान जैविक खेती करते हैं और बाजार में उसकी बढ़ी कीमत चाहते हैं, उन्हें भी राज्य सरकार की मंडियों में सीधे उत्पाद बेचने की योजना

से फायदा होगा। वे वाजिब दामों पर फसल बेचकर अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। सही मायनों में इससे किसानों की आय बढ़ाने की सरकार की योजना को सकारात्मक प्रतिसाद मिलेगा। इसी क्रम में कुछ गांवों को जोड़कर 'ग्राम हाट' बनाने की कृषि विभाग की योजना भी एक अभिनव पहल होगी। इस योजना में शामिल किसानों को हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड 'फार्मर प्रोड्यूस आर्गनाइजेशन' यानी एफपीओ का नाम दे रहा है। इसके माध्यम से किसान बिचौलियों के दबाव से मुक्त होकर खुद अपने उत्पाद बाजार में बेचने के लिये ला सकेंगे। निःसंदेह यह योजना जहां किसान को स्वावलंबी बनायेगी, वहीं कमीशनखोरी से मुक्त होकर किसान की आय में वृद्धि हो सकेगी। अब तक राज्य में करीब 450 एफपीओ का सक्रिय होना बताया है कि किसान इस योजना से उत्साहित व प्रोत्साहित हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे किसानों को खाद्यान्न बेचने के लिये पर्याप्त जगह बिना जटिल प्रक्रिया के उपलब्ध कराये। इसके अलावा ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये रचनात्मक पहल करे। इस योजना का सीधा लाभ यह होगा कि उपभोक्ता भी ताजी सब्जी व फल उचित दाम में हासिल कर सकेंगे। सरकार को राज्य में कृषि उपज के भंडारण व शीतगृह की श्रृंखला को भी बढ़ावा देना चाहिए।

सू-दोकू क्र.012

8			1		5	
6		8		2		3
3			2		1	
	3		9		5	4
5		3				9
	4		2			6
4		2		3		6
	6				8	7
2	9	7		6		

नियम

- कुल 81 वर्ग है, जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
- हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते हैं।
- बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

सू-दोकू क्र 11 का हल

5	3	9	7	4	8	6	2	1
2	1	6	5	9	3	4	7	6
4	7	8	1	6	2	3	5	9
3	6	1	8	5	9	2	4	7
8	5	2	3	7	4	1	9	6
7	9	4	2	1	6	8	3	5
6	4	7	9	2	1	5	6	3
1	8	5	4	3	7	9	6	2
9	2	3	6	8	5	7	1	4